

आरोपी नवलसिंह सहित श्री सुनील बेले अधिवक्ता ।

आरोपी नवलसिंह एवं प्रार्थी/आहत सुरेश सैययाम की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील बेले द्वारा एक राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा-320(2) दं.प्र.सं. का पेश कर व्यक्त किया गया है कि उभयपक्ष आपस में सगे रिश्तेदार हैं तथा आरोपी के साथ बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना एवं उनके मध्य मधुर संबंध हो जाना व्यक्त किया है। उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत सुरेश को आरोपी नवलसिंह से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जावे।

फरियादी/आहत सुरेश सैययाम स्वतः उपस्थित। उसकी पहचान श्री सुनील बेले अधिवक्ता द्वारा की गई। पहचान में संदेह नहीं है। प्रार्थी से एवं आरोपी से पूछे जाने पर उन्होंने स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा किया जाना व्यक्त किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपी के विरुद्ध धारा-341, 294, 323, 506 भादंवि के दण्डनीय अपराध में आरक्षी केन्द्र गढ़ी द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया है। आरोपी द्वारा कारित अपराध अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भादंवि का अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय व राजीनामा योग्य है। फलतः फरियादी/आहत सुरेश को आरोपी से धारा-294, 323, 506 भा.दं.वि. में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसी स्तर पर फरियादी/आहत सुरेश द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा-320 दंड प्रक्रिया संहिता का इस आषय से पेश किया गया कि उसके आरोपी से अब संबंध मधुर हो चुके हैं तथा आरोपी उसके गांव का ही है। उसने आरोपी से बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर लिया है। उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत सुरेश को आरोपी से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में उभयपक्ष राजीनामा करने में सक्षम हैं। राजीनामा करने में कोई विधिक रुकावट नहीं है। प्रस्तुत राजीनामा आवेदन विधि विरुद्ध न होने से स्वीकार किया जाता है। फलतः आरोपी-नवलसिंह को धारा-341, 294, 323, 506 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

प्रकरण मे जप्तशुदा बांस की लकड़ी है जो अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलम्ब अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)